डीपीआइ के आदेश पर विवाद, लेक्चरर पहुंचे कोर्ट

हाई कोर्ट ● 1,335 प्राचार्य पदों की काउंसलिंग में भेदभाव का आरोप, समान मापदंड की मांग

- 11 व्याख्याताओं ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है
- चयन प्रक्रिया में भेदभाव से पूरी प्रक्रिया हो जाएगी दूषित

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग में टी संवर्ग के 1,335 पदों पर प्राचार्य पदस्थापना की प्रक्रिया को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। डीपीआइ (संचालक लोक शिक्षण) द्वारा जारी काउंसलिंग आदेश को संजय बडेरा समेत 11 व्याख्याताओं ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि डीपीआइ ने काउंसलिंग में भेदभावपूर्ण और दोहरा मापदंड अपनाया है। उन्होंने मांग की है कि, सभी 1,335 शिक्षकों को काउंसलिंग में बुलाया जाए। प्राचार्य पदस्थापना के लिए समान नियम व मापदंड लागू किए जाएं। चयन प्रक्रिया में भेदभाव से पूरी प्रक्रिया दूषित हो जाएगी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह समझ से परे है कि एक ही पद पर पदस्थापना के लिए दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है।

● फाइल फोटो

यह है पूरा मामला

स्कूल शिक्षा विभाग ने 30 अप्रैल 2025 को टी संवर्ग के 1335 व्याख्याताओं (लेक्चरर, लेक्चरर एलबी और प्रधान पाठक) को प्राचार्य पद पर प्रमोशन दिया था। विभाग के आदेश की कंडिका-3 में साफ उल्लेख है कि सभी 1335 पदों पर पदस्थापना काउंसलिंग के माध्यम से की जाएगी। राज्य सरकार ने डीपीआइ को अधिकृत किया है कि काउंसलिंग के बाद पदस्थापना का प्रस्ताव शासन को भेजा जाए। डीपीआइ ने 14 अगस्त 2025 को आदेश जारी किया, जिसमें सिर्फ 845 पदों पर काउंसलिंग कराने की बात कही गई। जबकि विभाग में वर्तमान में 1366 पद रिक्त हैं और 1335 शिक्षकों को प्रमोशन दिया जा चुका है। ऐसे में लगभग 491 प्राचार्यों को काउंसलिंग से बाहर रखे जाने पर सवाल खड़े हो गए हैं। इसी फैसले के खिलाफ शिक्षकों ने हाई कोर्ट की शरण ली है। उनका कहना है कि अगर सभी प्रमोशनधारी शिक्षकों को काउंसलिंग में शामिल नहीं किया गया तो प्रक्रिया अपारदर्शी और पक्षपातपूर्ण हो जाएगी।

हाई कोर्ट ने रोजगार सहायक की अवमानना याचिका खारिज

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ग्राम पंचायत कुम्ही (जनपद पंचायत फिंगेश्वर, जिला गरियाबंद) के रोजगार सहायक दुहनाथ धीधी की अवमानना याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने अधिकारियों पर न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाया था। याचिकाकर्ता दुहनाथ धीधी की सेवा 7 अगस्त 2024 को समाप्त कर दी गई थी। उन्होंने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। 3 अप्रैल 2025 को हाई कोर्ट ने सेवा समाप्ति को निरस्त करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया था कि उन्हें एसीआर/पीएआर पर प्रतिनिधित्व का अवसर दिया जाए और उसके आधार पर सेवा विस्तार पर पुन: विचार किया जाए।

अवमानना का आरोप: याचिकाकर्ता का कहना था कि अधिकारियों ने आदेश की सही तरह से पालना नहीं की। 6 मई 2025 को केवल 89 दिनों की नियुक्ति दी गई, जबकि उन्हें एक वर्ष का अनुबंध मिलना चाहिए था। आदेश में यह भी लिखा गया कि उनकी याचिका वापस ली गई थी, जबकि वास्तव में वह स्वीकार की गई थी।

हाई कोर्ट का निर्णय: न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल ने कहा कि अधिकारियों द्वारा 89 दिनों की नियुक्ति देकर आदेश का सार्थक अनुपालन किया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि नियुक्ति की अवधि तय करना अधिकारियों का अधिकार है, आदेश में किसी निश्चित अवधि का उल्लेख नहीं था। यदि याचिकाकर्ता 6 मई 2025 के आदेश से असंतुष्ट हैं, तो वे अन्य कानूनी उपाय अपना सकते हैं, लेकिन अवमानना का मामला नहीं बनता। नतीजतन, हाई कोर्ट ने अवमानना याचिका खारिज कर दी।